"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 69] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 9 मार्च 2017 — फाल्गुन 18, शक 1938

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 9 मार्च 2017

क्रमांक 2545/डी. 56/21-अ/प्रारू./छ. ग./17 . — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 08-03-2017 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. होता, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम
(क्रमांक 1 सन् 2017)

छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-1) अधिनियम, 2017

वित्तीय वर्ष 2016-2017 की सेवाओं के लिए छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने के लिए अधिनियम.

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम.

1. यह अधिनियम छत्तीसगढ़ विनियोग (क्र.-1) अधिनियम, 2017 कहलाएगा.

वित्तीय वर्ष 2016-2017 के लिए राज्य की संचित निधि में से 12,50,41,69,095 रुपयों का दिया जाना.

2. छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से अनुसूची के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट राशियों से अनधिक वे राशियां संदत्त तथा उपयोजित की जा सकेंगी, जिनका कुल योग छत्तीसगढ़ विनियोग अधिनियम, 2017 की अनुसूची के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट राशियों को सम्मिलित करते हुए एक हजार दो सौ पचास करोड़ एकतालीस लाख उन्हत्तर हजार पंचानबे मात्र रुपये होता है उन विभिन्न प्रभारों को चुकाने के लिये, जो अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट सेवाओं एवं प्रयोजनों के संबंध में, वित्तीय वर्ष 2016-2017 के दौरान भुगतान किये जाने होंगे.

विनियोग.

3. इस अधिनियम द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से दी जाने और उपयोजित किए जाने के लिए प्राधिकृत राशियां, उक्त वित्तीय वर्ष के संबंध में अनुसूची में वर्णित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित की जाएंगी.

अनुसूची
(धारा 2 और 3 देखिये)

अनुदान का संख्यांक	सेवाएं और प्रयोजन		निम्नलिखित से अनधिक राशियां		
			विधान सभा द्वारा अनुदत्त	संचित निधि पर भारित	योग
(1)	(2)			(3)	
			रुपये	रुपये	रुपये
03	पुलिस	राजस्व	21,79,00,000	0	21,79,00,000
		पूंजी	4,40,00,000	0	4,40,00,000
06	वित्त विभाग से संबंधित व्यय	पूंजी	60,00,00,000	0	60,00,00,000
07	वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय.	राजस्व	70,00,00,000	0	70,00,00,000
08	भू राजस्व तथा जिला प्रशासन	राजस्व	1,93,79,25,000	0	1,93,79,25,000
10	वन	राजस्व	400	0	400
12	ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय	पूंजी	10,00,00,000	0	10,00,00,000
13	कृषि	राजस्व	10,36,37,000	0	10,36,37,000

(1)	(2)		(3)		
			रुपये	रुपये	रुपये
15	अनुसूचित जाति उपयोजनान्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता.	राजस्व	36,99,60,000	0	36,99,60,000
16	मछली पालन	राजस्व	2,58,20,000	0	2,58,20,000
17	सहकारिता	राजस्व	24,85,00,000	0	24,85,00,000
20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	राजस्व	0	3,26,195	3,26,195
		पूंजी	100	0	100
21	आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय.	पूंजी	100	0	100
23	जल संसाधन विभाग	पूंजी	100	0	100
24	लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	पूंजी	100	0	100
28	राज्य विधान मंडल	राजस्व	3,30,00,000	14,10,000	3,44,10,000
29	न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन	राजस्व	2,92,00,000	0	2,92,00,000
30	पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय.	राजस्व	14,66,71,000	0	14,66,71,000
		पूंजी	4,58,00,000	0	4,58,00,000
37	पर्यटन	राजस्व	4,29,00,000	0	4,29,00,000
39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय.	पूंजी	11,11,22,000	0	11,11,22,000
41	अनुसूचित जनजाति उपयोजना	राजस्व	45,67,83,400	0	45,67,83,400
		पूंजी	4,38,10,61,000	0	4,38,10,61,000
53	अनुसूचित जाति उपयोजनांतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता.	राजस्व	3,53,22,000	0	3,53,22,000
64	अनुसूचित जाति उपयोजना	राजस्व	35,68,87,400	0	35,68,87,400
		पूंजी	47,79,56,100	0	47,79,56,100
67	लोक निर्माण कार्य-भवन	पूंजी	100	0	100
75	जल संसाधन विभाग से संबंधित नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	पूंजी	100	0	100

(1)	(2)		(3)		
			रुपये	रुपये	रुपये
80	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता.	राजस्व	79,37,59,000	0	79,37,59,000
		पूंजी	9,91,95,000	0	9,91,95,000
81	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	राजस्व	76,44,21,000	0	76,44,21,000
82	अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता.	राजस्व	37,95,58,000	0	37,95,58,000
83	अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता.	राजस्व	10,54,000	0	10,54,000
	योग -	**राजस्व**	**6,64,32,98,200**	**17,36,195**	**6,64,50,34,395**
		पूंजी	**5,85,91,34,700**	**0**	**5,85,91,34,700**
	वृहद योग		**12,50,24,32,900**	**17,36,195**	**12,50,41,69,095**

रायपुर, दिनांक 9 मार्च 2017

क्रमांक 2545/डी. 56/21-अ/प्रारू./छ. ग./17.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 9-3-2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. होता, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT

(No. 1 of 2017)

THE CHHATTISGARH APPROPRIATION (No. 1) ACT, 2017

An Act to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Chhattisgarh for the services of the Financial Year 2016-2017.

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixty- eighth Year of the Republic of India, as follows :-

Short title. 1. This Act may be called the Chhattisgarh Appropriation (No. 1) Act, 2017.

Issue of Rs. 12,50,41,69,095 from and out of the Consolidated Fund of the State for the Financial year 2016-2017. 2. From and out of the Consolidated Fund of the State of Chhattisgarh, there may be paid and applied sums not exceeding those specified in column (3) of the Schedule, including the sums specified in column (3) of the Schedule of the Chhattisgarh Appropriation Act, 2017, amounting in the aggregate to the sums of One Thousand Two Hundred Fifty Crore Fourty One Lakhs Sixty Nine Thousand Ninety Five Only rupees towards defraying the several charges which will come in the course of payment during the financial year 2016-2017 in respect of services and purposes specified in column (2) of the Schedule.

Appropriation. 3. The sums authorised to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the State of Chhattisgarh by this Act, shall be appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the said financial year.

THE SCHEDULE

(See Section 2 and 3)

No. of Vote	Services and purposes		Sums not exceeding		
			Voted by the Legislative Assembly	Charged on Consolidated Fund	Total
(1)	(2)			(3)	
			Rs.	Rs.	Rs.
03	Police	Revenue	21,79,00,000	0	21,79,00,000
		Capital	4,40,00,000	0	4,40,00,000
06	Expenditure pertaining to Finance Department.	Capital	60,00,00,000	0	60,00,00,000
07	Expenditure pertaining to Commercial Tax Department.	Revenue	70,00,00,000	0	70,00,00,000
08	Land revenue and district administration.	Revenue	1,93,79,25,000	0	1,93,79,25,000
10	Forest	Revenue	400	0	400

(1)	(2)		(3)		
			Rs.	Rs.	Rs.
12	Expenditure pertaining to Energy Department.	Revenue	10,00,00,000	0	10,00,00,000
13	Agriculture	Revenue	10,36,37,000	0	10,36,37,000
15	Financial assistance to Three tier Panchayati Raj Institutions under Scheduled Caste Sub Plan.	Revenue	36,99,60,000	0	36,99,60,000
16	Expenditure pertaining to Fisheries Department.	Revenue	2,58,20,000	0	2,58,20,000
17	Co-operation	Revenue	24,85,00,000	0	24,85,00,000
20	Public Health Engineering	Revenue Capital	0 100	3,26,195 0	3,26,195 100
21	Expenditure pertaining to Housing and Environment Department.	Capital	100	0	100
23	Water Resources Department.	Capital	100	0	100
24	Public works-roads and bridges.	Capital	100	0	100
28	Sate Legislature	Revenue	3,30,00,000	14,10,000	3,44,10,000
29	Administration of Justice and Elections.	Revenue	2,92,00,000	0	2,92,00,000
30	Expenditure pertaining to Panchayat and Rural Development Department.	Revenue Capital	14,66,71,000 4,58,00,000	0 0	14,66,71,000 4,58,00,000
37	Tourism	Revenue	4,29,00,000	0	4,29,00,000
39	Expenditure pertaining to Food Civil Supplies and Consumer Protection Department	Revenue	11,11,22,000	0	11,11,22,000
41	Tribal Areas Sub-plan	Revenue Capital	45,67,83,400 4,38,10,61,000	0 0	45,67,83,400 4,38,10,61,000
53	Financial assistance to Urban bodies under Scheduled Caste Sub Plan.	Revenue	3,53,22,000	0	3,53,22,000
64	Scheduled Caste Sub Plan.	Revenue Capital	35,68,87,400 47,79,56,100	0 0	35,68,87,400 47,79,56,100

(1)	(2)		(3)		
			Rs.	Rs.	Rs.
67	Public Works-Buildings	Capital	100	0	100
75	NABARD aided Projects pertaining to Water Resources Department.	Capital	100	0	100
80	Financial assistance to Three tier Panchayati Raj Institutions.	Revenue Capital	79,37,59,000 9,91,95,000	0 0	79,37,59,000 9,91,95,000
81	Financial assistance to Urban bodies.	Revenue	76,44,21,000	0	76,44,21,000
82	Financial assistance to Three tier Panchayati Raj Institutions under the tribal area sub-plan.	Revenue	37,95,58,000	0	37,95,58,000
83	Financial assistance to urban bodies under the tribal area sub-plan.	Revenue	10,54,000	0	10,54,000
	Total-	**Revenue** **Capital**	**6,64,32,98,200** **5,85,91,34,700**	**17,36,195** **0**	**6,64,50,34,395** **5,85,91,34,700**
	Grand Total		**12,50,24,32,900**	**17,36,195**	**12,50,41,69,095**

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2017.